



2026:RJ-JP:14765

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Writ Petition No. 1191/2025

Ms.aman D/o Shree Manoj Kumar,

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Naved Rafiq
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Poonia, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

08/09/2025

कार्यालय द्वारा इंगित आक्षेप क्रम-2 के संबंध में सुना गया।

उक्त आक्षेप के संबंध में याचिका के अनुच्छेद क्रम-9 में अंकन किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में आक्षेप क्रम-2 दूर किया जाता है।

आक्षेप क्रम-1 के संबंध में सुना गया।

पत्रावली के साथ संलग्न परिशिष्ट-6 पुलिस अधीक्षक, जिला-झुंझुनूं को प्रेषित प्रतिवेदन है, जो दिनांक 27.08.2025 को प्रेषित किया गया है, जिसकी प्राप्ति रसीद की प्रति भी पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः उक्त आक्षेप दूर किया जाता है।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रकट किया कि इस प्रकरण में याची क्रम-2 जतिन सिंह पूर्व से विवाहित हैं, जो अपने पूर्व विवाह के विघटित हुए बिना अविवाहित याची क्रम-1 अमन के साथ लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रहा है तथा इस प्रकार के मामलों में सुरक्षा मुहैया करवाने के बिन्दु को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ ने प्रकरण एकलपीठ दाण्डिक याचिका संख्या 2183/2024 में वृहद पीठ को रैफर किया है।

प्रकरण छः सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जावे।

(SHUBHA MEHTA),J